निर्णयः– पूनमाराम बनाम कानाराम (धारा–111, 128)

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 34/2020

प्रार्थी

1. पूनमाराम पुत्र मनजीराम
2. हेमाराम पुत्र मनजीराम
3. दलाराम पुत्र मनजीराम
4. डालूराम पुत्र मनजीराम जाति जाट निवासी खरड़िया पटवार क्षैत्र मांगता तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कानाराम पुत्र गुणेशाराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी खरड़िया पटवार क्षैत्र मांगता तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 26.06.2020

अधिवक्ता :–

1. **श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री मदनलाल व श्री खेताराम सैन विप्रार्थी**

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना जिला-बाड़मेर

–: : निर्णय : :– **दिनांक :03.09.2024**

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ग्राम खरड़िया पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 545/274 रकबा 40–02 बीघा किस्म बारानी सोयम की भूमि आई हुई है। जिसकी जमाबन्दी नकल व नक्शा ट्रैस साथ संलग्न है।

उपरोक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थीगण का खरीद सुदा हैं जो खरीद से आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं।

प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा–सेढ ही विप्रार्थी संख्या 01 की भूमि आई हुई है, कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 के खेतों के मध्य किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा चिन्ह् नहीं होने के कारण प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढा के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा काटकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:03:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2020/438 दिनांक 12.06.2020 पटवारी हल्का मांगता को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 14.06.2020 को हल्का पटवारी मांगता द्वारा उपरोक्त खसरे का प्रार्थीगण व मौतबरान् के रूबरू शुरु किया या । रूबरू खातेदार व पड़ौसी खातेदार के मुश्तिकिल बिन्दु कायम कर सीमाज्ञान किया गया तथा पड़ौसी खातेदार यानि विप्रार्थी संख्या 01 के खातेदार द्वारा सीमाज्ञान में अपने खेत में जरीब चलाने से इन्कार किया व मौके पर दोनों खसरों के खातेदारों के बीच सेढे को लेकर विवाद है बताया गया है। व विप्रार्थी संख्या 01 ने सीमाज्ञान नहीं करने दिया तब हल्का पटवारी ने विवाद की स्थिति होने के कारण नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतू संबंधित पुलिस थाना हल्का धोरीमना को निर्देशित किया जावें कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतू पुलिस ईमदाद प्रदान करावें। प्रार्थी नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी संबंधी फीस अदा करने को तैयार है। वादग्रस्त भूमि मौजा खरड़िया पटवार मण्डल मांगता तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– रूपये का साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ग्राम खरड़िया पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 545/274 रकबा 40–02 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्की [illegible]न्दी/ पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार [illegible] पुलिस [illegible] पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:03:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 02 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों की डाक रसीदें मय डिलीवरी रिपोर्ट प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की।

विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल उपस्थित हुए।

विप्रार्थी संख्या 01 के वकील ने जबाब पेश नहीं कर सीधी बहस करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत के चारो तरफ पक्की नेखमबन्दी का आदेश प्रदान करावों ताकि खेत के चारो तरफ पक्की बाड़/ बाढ बना सके, खेती रखवाली के लिए बाड़ बना सके, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

विप्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारीज योग्य है, प्रार्थी अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने के हकदार नहीं है। विप्रार्थीगण को परेशान व तंग करने के लिए आवेदन पत्र किया हैं जो मय खर्चा खारीज योग्य है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम खरड़िया पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 545/274 रकबा 40–02 बीघा किस्म बारानी सोयम प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक दिनांक 14.06.2020 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 545/274 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी ग्राम खरड़िया पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 545/274 रकबा 40–02 बीघा किस्म बारानी सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:03:44 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना [illegible] अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती [illegible]बित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है, तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम खरड़िया पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 545/274 रकबा 40–02 बीघा किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर, सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे–खर्चे से उसके ग्राम खरड़िया पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 545/274 रकबा 40–02 बीघा किस्म बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:03:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner